न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – चम्पालाल जीनगर, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 13/2023

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
पवन यादव पुत्र वीरेन्द्रसिंह यादव जाति यादव निवासी ग्राम रूण तहसील मुण्डवा जिला नागौर।		राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार मुण्डवा जिला नागौर।

उपस्थिति :–

1. श्री भागीरथ चौधरी अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

दिनांक: 24.01.2025

निर्णय

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नायब तहसीलदार, मुण्डवा द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 69/2022 सरकार बनाम पवन यादव में निर्णय दिनांक 09.02.2023 के तहत मौजा रूण की भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 09.03.2023 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 14.03.2023 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय वकील उपस्थित हुए। अपीलांट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 69/22 की पत्रावली की प्रमाणित फोटोप्रति, रजिस्ट्री दिनांक 30.10.2023 की फोटोप्रति, ग्राम रूण की जमाबंदी सम्वत् 2076 की फोटोप्रति पेश की। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)– निर्णय जेर अपील खिलाफ कानून तथ्यो व परिस्थितियों के विरूद्व साक्ष्य व रेकर्ड के विरूद्व तथा मौके की स्थिति के विरूद्व होने के अतिरिक्त प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज किये जाने योग्य है।

{2}(II)– पटवारी हल्का रूण द्वारा जो मौका रिपोर्ट सर्वप्रथम दिनांक 24.11.2022 को बनाई गई थी, उसमें खसरा नम्बर 3405 पर 1.2221 बीघा भूमि पर अतिक्रमण करने बाबत दिया गया था। जबकि अपीलांट के माताजी के नाम क्रय की गई भूमि खसरा नम्बर 3404 व 3406 है जिसकी भुजा 3405 के लगती है। इस कारण खसरा नम्बर 3405 चिपती भूमि होने के कारण सीमा ज्ञान के अभाव में भूलवश अनार के पेड अपीलांट द्वारा लगाये गये थे। चूंकि उक्त तीनों खेताय की सीमा आपस में लगती हैं, इस कारण अपीलांट को जानकारी नहीं थी एवं गलत रूप से संवत 2079 में कब्जा करने का नोटिस दिया गया था, जबकि अपीलांट द्वारा तो वर्षो पूर्व ही पेड लगा दिये गये थे, इससे प्रतीत होता है कि अपीलांट संवत 2079 में कब्जा नहीं किया एवं मौका रिपोर्ट झूठी व मिथ्या होने के कारण इसके आधार पर मूर्तिब की गई धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की कार्यवाही निरस्त किये जाने योग्य है।

{2}(III)–पटवारी हल्का रूण द्वारा जो मौका रिपोर्ट दिनांक 24.11.2022 को तैयार की गई, जिसके आधार पर अपीलांट के विरूद्व धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही मूर्तिब की गई, उक्त नोटिस से प्रतीत होता है कि उक्त नोटिस साइक्लो स्टाईल तरीके से जारी किया गया है अर्थात खाली जगह में पूर्ति करके जारी किया गया है, जो विधि की दृष्टि से विधि विरूद्व व अमान्य है, जिसके आधार पर की गई धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की कार्यवाही भी निरस्त किये जाने योग्य है। तत्पश्चात अपीलांट को जो नोटिस भी जारी किये गये थे, वो नोटिस भी साइक्लो स्टाईल हैं, इस कारण भी निर्णय जेर अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

{2}(IV)–अपीलांट की माता द्वारा दिनांक 30.10.2013 को ग्राम रूण में स्थित खेत खसरा नम्बर 3624/3403, 3424, 3402, 3403, 3404, 3406 भूमि तत्कालीन खातेदार छितरमल ईश्वरमल व श्यामसुन्दर से क्रय की थी, तत्पश्चात अपीलांट की माता कैलाशदेवी द्वारा नामान्तरकरण बाबत समय समय पर राजस्व कर्मचारी ने हटधर्मिता व द्वेषतापूर्वक नामान्तरकरण स्वीकार नहीं किया हैं, क्योंकि अपीलांट व अपीलांट की माता राजस्थान से बाहर के निवासी हैं, जिस कारण उनके साथ सौतेला व्यावहार हुआ, तत्पश्चात अपीलांट की माता ने पुनः दिनांक 30.11.2022, 29.11.2022 व 22.11.2022 को पटवारी हल्का रूण, तहसीलदार मूण्डवा व उपखण्ड अधिकारी मूण्डवा के समक्ष भी आवेदन पेश कर नामान्तरकरण बाबत निवेदन किया, मगर किसी प्रकार की कार्यवाही उपरोक्त राजस्व कर्मचारियो व अधिकारियो द्वारा नहीं की गई। उल्टा द्वेषतापूर्वक कार्यवाही कर धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की कार्यवाही कर अपीलांट को तंग व परेशान करने

24/1/25

अपर कलक्टर, नागौर

के उद्देश्य से निर्णय दिनांक 09.02.2023 पारित कर दिया गया, जो विधि विरूद्व व न्याय के सिद्वातों के विपरीत होने के कारण अपील के माध्यम से निरस्त किये जाने योग्य है।

{2}(V)–वर्तमान में अपीलांट का किसी प्रकार का कब्जा सरकारी भूमि खसरा नम्बर 3405 पर नहीं हैं, अपीलांट न्यायालय हाजा से भी खसरा नम्बर 3405 व 3404 व 3406 के नाम की गुजारिश करता है। सीमा ज्ञान के अभाव मे अपीलांट के द्वारा वृक्ष लगाये गये थे, इसके अलावा अपीलांट का कभी भी सरकारी भूमि पर कब्जा करने का आशय नहीं रहा था। अगर अनार के वृक्ष लगाकर अपीलांट द्वारा संवत 2079 में कब्जा किया गया था, जो वृक्ष कम से कम 7–8 साल पूर्व लगाये गये थे, जिससे प्रतीत होता है कि अपीलांट ने किसी प्रकार का कब्जा वर्तमान समय से नहीं किया हैं, जिस कारण से भी निर्णय जरे अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

{2}(VI)–अपीलांट को यह भविष्य में आंशका है कि उसके विरूद्व पटवारी हल्का व तहसीलदार द्वारा पुनः धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की कार्यवाही की जायेगी, क्योंकि राजस्व कर्मचारी व अधिकारी अपीलांट से द्वेषता रखते है। जब वर्तमान में अपीलांट का खसरा नम्बर 3405 जो कि सरकारी भूमि हैं, पर एक इंच भूमि पर भी कब्जा नहीं हैं, क्योकि उक्त अनारों की कुर्की तहसीलदार व राजस्व कर्मचारियों द्वारा कर ली गई हैं एवं अपीलांट ने किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण कर किसी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं किया है। इससे भी प्रतीत होता है कि निर्णय जेर अपील अपीलांट से द्वेषतापूर्वक, ईर्ष्यापूर्वक कार्यवाही करते हुए पारित किया गया हैं, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

{2}(VII)–अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय ने सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर ही नहीं दिया एवं मात्र कुछ दिनों में ही अपीलांट का प्रकरण निरस्तारित कर अधीनस्थ न्यायालय ने भारी विधिक त्रुटि कारित की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अल्प समय में ही बिना विधिक प्रक्रिया अपनाएं बिना साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान किये निर्णय जैर अपील पारित किया हैं, इस कारण निर्णय जैर अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

{2}(VIII)–अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को खसरा नम्बर 3405 अतिक्रमण का नोटिस दिया गया था, पटवारी रिपोर्ट पर उक्त बाबत एक नक्शा भी बनाया गया था, उस नक्शे में कही भी नाप का उल्लेख नहीं किया गया है एवं न ही किस दिशा में, कितने नाप पर अतिक्रमण किया हैं, इस बाबत मौका रिपोर्ट में किसी प्रकार का अंकन नहीं किया गया हैं, मौका रिपोर्ट अस्पष्ट है व अस्पष्ट मौका रिपोर्ट के आधार पर किसी प्रकार का विधि सम्मत आदेश पारित करना न्याय संगत नहीं हैं, अधीनस्थ न्यायालय ने इस विधिक बिन्दु को नजरअंदाज कर विधिक त्रुटि कारित की हैं, जिससे निर्णय जेर अपील खारिज किये जाने योग्य है।

{2}(IX)–अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करते समय अत्यन्त ही जल्दी एवं हडबडी रखते हुए निर्णय पारित किया है, क्योंकि वर्तमान प्रकरण में न तो अपीलांट को साक्ष्य व सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया, मात्र जल्दबाजी पूर्वक अपीलांट को बेदखली करने के उद्देश्य से यह निर्णय जेर अपील पारित किया हैं, जिससे भी आदेश जेर अपील खारिज किये जाने योग्य है।

{3}–राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा मौजा रूण में स्थित सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलांट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नायब तहसीलदार, मूण्डवा द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 69/2022 सरकार बनाम पवन यादव में निर्णय दिनांक 09.02.2023 के तहत मौजा रूण की भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर अपील पेश की। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलांट का अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होना अभिलेख से साबित भी है। पटवारी की मौका रिपोर्ट दिनांक 24.11.2022 से ज्ञात होता है कि अपीलांट ने मौजा रूण के खसरा नम्बर 3405 की सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील यथावत कायम रखा जाता है।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24/11/25

(चम्पालाल जीनगर)
अपर कलक्टर,
नागौर
अपर कलक्टर, नागौर